मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
—:—

क0 699/815/11/ब—1/चार भोपाल, दिनांक 29/11/2019

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   मध्यप्रदेश शासन
   शासन के समस्त विभाग
2. समस्त बजट नियंत्रण
   अधिकारी ।

विषयः— **वर्ष 2019—20 की बजट गतिविधियों एवं वर्ष 2020—21 के बजट अनुमान की तैयारी का अनंतिम बजट कार्यक्रम।**

——00——

वित्तीय वर्ष 2019—20 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2020—21 के बजट अनुमान की तैयारी के संबंध में दिशा निर्देश संलग्न है ।

अनुरोध है कि संलग्न दिशा निर्देशों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर बजट प्रस्ताव तैयार किया जाए । इस संबंध में विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारियों/वित्तीय सलाहकारों की एक बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी ।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

29/11/19

(नीरज कुमार सिंह)
संचालक बजट
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0क0 700/815/2011/ब–1/चार भोपाल, दिनांक 29/11/2019

प्रतिलिपिः–

1/ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
2/ प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
3/ राज्यपाल, मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
4/ प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5/ प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल।
6/ निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
7/ सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
8/ सचिव, लोक आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल।
9/ आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10/ मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय भोपाल।
11/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा,मध्यप्रदेश।
12/ समस्त कोषालय अधिकारी/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
13/ समस्त उपसचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी म.प्र.शासन वित्त विभाग
14/ गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

29/11/19

संचालक बजट
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान की तैयारी हेतु दिशा निर्देश ।

1. वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष **2020–21** के बजट प्रस्ताव, कोष एवं लेखा के आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कर प्रेषित किये जायें।

2. **वेतन मद के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त :–**

(i) वित्तीय वर्ष **2020–21** के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय 'वेतन' मद उद्देश्य शीर्ष (11,16,17,18,19) अंतर्गत विस्तृत शीर्ष–001 वेतन में वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित अनुमान से अधिकतम 3.5 प्रतिशत की वृद्धि रखी जा सकती है ।

(ii) विस्तृत शीर्ष–003 मंहगाई भत्ता में बजट अनुमान वर्ष **2020–21** के **वेतन मद में प्रावधानित राशि** का 24 प्रतिशत रखी जा सकती है ।

(iii) नवीन नियुक्तियॉ एवं सेवानिवृत्ति आदि की स्थिति के कारण यदि उपर्युक्त सीमा से अधिक/कम राशि प्रस्तावित की जाती है, तो टिप्पणी में कारण स्पष्ट किया जाए ।

(iv) यदि किसी विभाग के अंतर्गत किसी स्थापना में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी की वर्तमान में पदस्थापना न हो परन्तु वर्ष **2020–21** में पदस्थापना की संभावना हो, तो प्रतीक प्रावधान रखा जाए।

(v) बजट नियंत्रण अधिकारी/विभागाध्यक्ष एवं वित्तीय सलाहकार की जिम्मेदारी होगी कि अनिवार्य व स्थापना व्यय का सटीक आंकलन किया जावे ।

3. **अन्य व्ययों के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त :–**

(i) वित्तीय वर्ष **2020–21** के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय मजदूरी मद उद्देश्य शीर्ष 12–000 में वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित अनुमान से अधिकतम 7 प्रतिशत की वृद्धि रखी जा सकती है ।

(ii) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये बजट अनुमान तैयार करते समय स्थाई कर्मी कर्मचारियों के वेतन आहरण हेतु उद्देश्य शीर्ष 12 मजदूरी के अंतर्गत विस्तृत शीर्ष–001–वेतन, 003–महगाई भत्ता, 006 मकान किराया भत्ता एवं 008 अन्य भत्ते में आवश्यक बजट प्रावधान प्रस्तावित किया जावे तथा इसी अनुपात में मद 12–000 में बजट प्रावधान कम किया जाय।

(iii) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये बजट अनुमान हेतु निम्नांकित व्यय मदों में वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित अनुमान से 5 प्रतिशत से अधिक वृद्वि न रखी जाये :–

- **उद्देश्य शीर्ष–22 कार्यालय व्यय** के अंतर्गत विस्तृत शीर्ष –009 पेट्रोल, तेल आदि
- **उद्देश्य शीर्ष–31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियॉ** अंतर्गत विस्तृत शीर्ष–005 सुरक्षा व्यवस्था, 006–सफाई व्यवस्था एवं 007–परिवहन व्यवस्था ।

(iv) इसके अतिरिक्त, अन्य व्यय मदों के लिये वित्तीय वर्ष **2020–21** के बजट अनुमान, वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित अनुमान की सीमा में रखे जाये ।

4. **'मतदेय'** व **'भारित'** वर्गीकरण का ध्यान रखा जाए।

5. न्यायालयीन प्रकरणों में भुगतान किये जाने हेतु उद्देश्य शीर्ष 53 डिक्री धन में भारित मद में आवश्यक प्रावधान बी0सी0ओ0 की मुख्यालय स्थापना संबंधित योजना में अवश्य रखा जाये।

6. व्यय की प्रकृति के आधार पर बजट अनुमान में आवश्यक उद्देश्य शीर्षो को ध्यान में रखा जाये । यदि आवश्यक हो तब पृथक से नवीन उददेश्य शीर्ष प्रस्तावित करें, ताकि असंबंधित उददेश्य शीर्ष से व्यय करने की स्थिति नहीं हो । उद्देश्य शीर्ष की सूची वित्त विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

7. विभाग अंतर्गत यदि लेखा शीर्ष में लघु शीर्ष –800 में बजट प्रावधान है तो उसका परीक्षण कर उपयुक्त लघु शीर्ष में बजट प्रावधान प्रस्तावित किया जाये । लघु शीर्ष 800 में प्रावधान तब ही रखा जाये जब

प्रस्तावित व्यय हेतु कोई विशिष्ट लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं हो ।

8. व्यय मद के लिए अन्य कोई विशिष्ट उद्देश्य शीर्ष उपलब्ध नहीं होने पर ही उद्देश्य शीर्ष 51–अन्य प्रभार–000 में प्रावधान प्रस्तावित किया जाये ।

9. प्रस्तावित बजट अनुमान की राशि को सेंगमेंट कोड (सामान्य, अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना) में निर्धारित अंशो (अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए न्यूनतम 23 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए न्यूनतम 16 प्रतिशत) अनुसार विभाजन की आवश्यकता को संज्ञान में रखा जाये ।

10. वित्तीय वर्ष **2020–21** के बजट अनुमान तैयार करने हेतु विभागों के लिए अंतरिम बजट सीमा **परिशिष्ट 1** अनुसार संलग्न है । इस सीमा में राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का नवीनतम आकलन, राज्य शासन की प्राथमिकताओं तथा 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर केंद्र द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर पुनर्विचार किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग निर्धारित अंतरिम सीमा में ही बजट अनुमान तैयार करें । इसके लिये यदि आवश्यक हो तो योजनाओं का युक्तियुक्तकरण भी करें। जिन योजनाओं की निरन्तरता प्राप्त नहीं है अथवा जिन योजनाओं को विभाग द्वारा आगामी वर्ष में संचालित नहीं किया जाना हो उनका व्यय इस अंतरिम सीमा से घटा कर बजट अनुमान तैयार किया जाए । वित्त विभाग द्वारा राज्य के स्वयं के संसाधन तथा केन्द्र/अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले संसाधनों का आंकलन कर, 15 वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन तथा उस पर केंद्र के निर्णय एवं केन्द्रीय बजट **2020–21** को दृष्टिगत रखते हुए तथा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार अंतिम बजट सीमा तय की जायेगी, जिसके अनुरूप मंत्रि परिषद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा ।

11. योजनाओं के स्वरूप अनुसार राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षो के अंतर्गत विस्तृत शीर्षो के उपयुक्त वर्गीकरण को ध्यान में रखा जाये। **(कृपया परिशिष्ट–2 देखें)**

12. अनुपूरक बजट अनुमान में यदि किसी योजना अंतर्गत लेखाशीर्ष वर्गीकरण में संशोधन कराया गया हो/कराया जाना हो तो वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित अनुमान में भी उक्त अनुसार संशोधन प्रस्तावित करें।

13. वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में यदि किसी नियम/ अधिनियम /नीति के अंतर्गत, कर (टैक्स) अथवा करेत्तर (नॉन टेक्स) प्रोत्साहन दिये गये हों, जिससे राज्य शासन के प्राप्ति योग्य राजस्व पर प्रभाव पड़ा हो/ पड़ना संभावित हो, तो ऐसे राजस्व प्रभाव के अनुमान को वित्तीय वर्ष **2020–21** के बजट साहित्य के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। अतः संलग्न प्रपत्र **परिशिष्ट–3** में जानकारी उपलब्ध कराये। यह जानकारी मुख्यतः वाणिज्यिक कर, ऊर्जा ,औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सुक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उद्यम, सूचना प्रोद्यौगिकी, राजस्व आदि विभागों से अपेक्षित है । यदि किसी विभाग में इस प्रकार का राजस्व प्रभाव नहीं रहा है तब वे निरंक जानकारी भेजें ।

14. योजनाओं की निरन्तरता के प्रस्तावों पर वित्त विभाग द्वारा समान उद्देश्य की योजनाओं को संविलयन करने का परामर्श दिया गया है। अतः तदनुसार समान योजनाओं को संविलयित कर बजट अनुमान तैयार करें। जिन योजनाओं की निरन्तरता प्राप्त नहीं की गयी है, उनके औचित्य को स्पष्ट करते हुए आवश्यकतानुसार बजट में अपरीक्षित मद के रूप में प्रस्तावित करें ।

15. बजट प्रस्तावों के साथ योजनावार टीप पृथक से निर्धारित प्रपत्र **परिशिष्ट–4** में बजट चर्चा की तिथि के 3 दिवस पूर्व वित्त विभाग की संबंधित बजट शाखा को उपलब्ध करायें ।इसके अतिरिक्त इस टीप को आईएफआईएमएस सॉफ्टवेयर में भी अपलोड करें ।

16. भारत सरकार के बजट प्रस्ताव में सम्मिलित नवीन योजनाओ के संबंध में भारत सरकार के बजट में स्पष्ट प्रावधान होने पर ही नवीन योजना प्रस्तावित की जायें । यदि वित्तीय वर्ष में योजना प्रारम्भ किये जाने की संभावना हो तब प्रतीक प्रावधान प्रस्तावित करें।

17. वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान का अनंतिम बजट कार्यक्रम परिशिष्ट–5 संलग्न है। कृपया समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए।

परिशिष्ट –2

राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षो के अंतर्गत उद्देश्य शीर्षो के सही वर्गीकरण किये जाने के संबंध में निर्देश

विभाग द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत व्ययों का सटीक आकलन कर वर्गीकरण किया जाये इस हेतु निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये :–

(क) उद्देश्य शीर्ष 63 (मशीनें) एवं 64 (बृहद निर्माण कार्य) पूंजीगत व्यय के स्वरूप के होने से राजस्व शीर्षो के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जायें।

(ख) उद्देश्य शीर्ष 32 (लघु निर्माण कार्य), 42 (सहायक अनुदान), 45 (पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान) एवं 51 (अन्य प्रभार) राजस्व व्यय के स्वरूप के होने से पूंजीगत शीर्षो के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जायें।

(ग) मूल रूप से योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वालें कार्यो के राजस्व एवं पूजीगत स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये योजनाओं का वर्गीकरण किया जायें । पूंजीगत शीर्ष में ऐसी योजनाओं को रखा जाएं जिसमें स्थायी प्रकृति की परि संपत्तियां निर्मित होती हो ।

प्रोत्साहन दिये जाने के फलस्वरूप राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का पत्रक

विभाग का नाम :.....

विभागाध्यक्ष एवं बी0सी0ओ0 कोड़ :.....

(क) नीतिगत अथवा किसी अधिनियम के अनुसार

स0 कं 0	विवरण	2018–19 राजस्व पर प्रभाव (वास्तविक)	2019–20 राजस्व पर प्रभाव (अनुमानित)
1			
2			

(ख) मंत्रिपरिषद आदेश के तहत

स0 कं 0	विवरण	2018–19 राजस्व पर प्रभाव (वास्तविक)	2019–20 राजस्व पर प्रभाव (अनुमानित)
1			
2			

(ग) विभागीय आदेश के द्वारा

स0 कं 0	विवरण	2018–19 राजस्व पर प्रभाव (वास्तविक)	2019–20 राजस्व पर प्रभाव (अनुमानित)
1			
2			

(घ) अन्य

स0 कं 0	विवरण	2018–19 राजस्व पर प्रभाव (वास्तविक)	2019–20 राजस्व पर प्रभाव (अनुमानित)
1			
2			

परिशिष्ट –4

बजट अनुमान 2020–21 में प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी

(क) विभाग————————————(ख)बजट नियंत्रण अधिकारी————————————

(1) योजना का नाम व क्रमांक

(2) योजना का स्वरूप : राज्य पोषित/केंद्र प्रवर्तित/केंद्र क्षेत्रीय योजना

(3) योजना में हिस्सेदारी : (प्रतिशत में) केन्द्रांश : राज्यांश : अन्य

(4) मंत्रिपरिषद से निरंतरता : यदि प्राप्त हो तो (आदेश संलग्न करें)
यदि प्राप्त नहीं हो तो (औचित्ययुक्त टीप संलग्न करें)

(5) योजना का उद्धेश्य, पृष्ठभूमि, मापदण्ड आदि की जानकारी दें।

(6) लक्ष्य–उपलब्धि की जानकारी दें।

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	टिप्पणी
2018–19			
2019–20			
2020–21			

(7) यदि योजना के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हों तो Shelf of projects/sanctions (कुल स्वीकृत परियोजनाएं/स्वीकृतियों) की जानकारी दें। समस्त परियोजनाओं (जिनके वित्तीय दायित्व दिनांक 30.11.2019 को शेष है) की जानकारी निम्न पत्रक में उपलब्ध कराएं।

स. क्रं.	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का वर्ष	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	दिनांक 31.03.2020 तक संभावित व्यय	दिनांक 31.03.2020 तक संभावित शेष(4–5)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7

(8) योजनांतर्गत कुल लंबित दायित्वों (संभावित) की जानकारी दें। (31.03.2020 की स्थिति में)

(9) अन्य टिप्पणी

परिशिष्ट–5

वर्ष 2019–2020 की बजट गतिविधियों एवं वर्ष 2020–2021 के बजट अनुमान की तैयारी का अनंतिम बजट कार्यक्रम

1	09 दिसम्बर 2019	राजस्व प्राप्तियॉ/वसूलियों के बजट अनुमान 2020–21 के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होना।
		वर्ष 2020–2021 के बजट प्रस्ताव आयुक्त कोष एवं लेखा के **आई.एफ.एम.आई.एस.** में भरा जाकर वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि ।
2	09 दिसम्बर 2019 से 27 दिसम्बर,2019 तक	प्राप्तियों तथा व्यय के बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव) के साथ चर्चा । (विभागवार कलेण्डर पृथक से जारी किया जायेगा)
3	09 दिसम्बर, 2019	वर्ष 2020–2021 नवीन मद के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि ।
4	16 दिसम्बर, 2019 तक	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले विवरण की जानकारी विभागों से प्राप्त होने की अंतिम तिथि ।
5	16 दिसम्बर, 2019 से 10 जनवरी, 2020 तक	प्राप्तियों तथा व्यय के बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों) के साथ चर्चा । (विभागवार कलेण्डर पृथक से जारी किया जायेगा)
6	02 जनवरी, 2020	जेण्डर बजट से संबंधित जानकारी वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि।
7	05 जनवरी, 2020 तक	राज्य शासन द्वारा वर्ष 2018–19 में की गई भूमि आवंटन (रियायती) तथा दिनांक 31 दिसंबर, 2019 तक बकाया गारंटी की जानकारी वित्त विभाग में प्राप्ति।
8	13 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 तक	आवश्यकतानुसार माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अन्य विभागों के माननीय मंत्रीगणों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा
9	15 जनवरी, 2020	माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु सामग्री प्राप्त होने की अंतिम तिथि।
10	31 मार्च, 2020	प्रशासकीय विभागों द्वारा 31.03.2020 तक वर्ष 2019–20 हेतु पुनर्विनियोजन/समायोजन के पारित आदेश वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि

विशेष सूचनाः–1. **उक्त बजट प्रस्ताव वित्त विभाग के आई.एफ.एम.आई.एस. साफ्टवेयर में प्राप्त किये जायेंगे ।**

2. **वर्ष 2020–2021 के बजट में कोई अपरीक्षित व्यय का नवीन मद सम्मिलित नहीं किया जावेगा और न ही पुनर्विनियोजन प्रस्ताव कार्यक्रम में अंकित तिथि के बाद मान्य किया जावेगा। विभागों से अनुरोध है कि समय सारणी का कड़ाई से पालन करें।**

3. **उप सचिव/सचिव स्तर की बजट चर्चा के दौरान प्रशासकीय विभाग के अंतर्गत आने वाले निकाय/मंडल/संस्था/परिषद के संबंध में भी पृथक से चर्चा की जायेगी।**